

सं. 12(1)/ई-II(ए) 2016

भारत सरकार

विन मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 7 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार संग्रह के नियमों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध के अनुसार सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को इस अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया है कि चिकित्सीय उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे पर या स्थानांतर्गण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।

2. इसके अतिरिक्त, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अग्रिम भी, जिसका उल्लेख सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह में नहीं किया गया है, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में समाप्त कर दिया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मंजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।

Ychvt

(पंकज हजारिका)

निदेशक, ई-II(ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह, 2005 में संशोधन

क्र. सं.	अग्रिम का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय
1.	साइकिल अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
2.	गर्म कपड़ा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
3.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
4.	त्यौहार अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
5.	प्राकृतिक आपदा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
6.	छुट्टी वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
7.	मुकदमों के लिए अग्रिम	समाप्त कर दिया गया